	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 24, शनिवार, शाके 1943–अक्टूबर 16, 2021 *Asvina 24, Saturday, Saka 1943- October 16, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप–5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 15, 2021

जी.एस.आर. 113:– राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित एवं इस विभाग द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा जारी किये गये विनियमों में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त विनियमों में, विद्यमान विनियम 16 एवं 17 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"16. राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा। एनसीआर क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण राज्य में केवल ग्रीन आतिशबाजी का विक्रय कोई भी दुकानदार द्वारा किया जायेगा, ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नही किया जायेगा।

17. राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा, न ही चलाने की अनुमति देगा। एनसीआर क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण राज्य में केवल ग्रीन आतिशबाजी के उपयोग व चलाने की अनुमति होगी, कोई भी व्यक्ति ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नही करेगा, न ही चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी का उपयोग व चलाये जाने हेतु किसी भी व्यक्ति व आयोजक द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि,–

(i) ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरूपर्ब एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर 11.55 पीएम से 12.30 एएम तक चलने की अनुमति होगी।

(ii) जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स "poor" या उससे खराब है वहां उस दिन आतिशबाजी के चलाने पर रोक रहेगी।''

[संख्या प.9(16)गृह–5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र कुमार

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।